



भारत सरकार/Government of India

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग

Ministry of Finance, Department of Revenue

सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त का कार्यालय

Office of the Commissioner of Customs (Preventive)

110 महत्मा गांधी रोड, पूर्वोत्तर क्षेत्र, शिलांग-793001, मेघालय

110 Mahatma Gandhi Road, NER, Shillong - 793001, Meghalaya

फोन/Phone: 0364-2222597/2225325/फैक्स/Fax: 0364-2223440/2229007.ई-मेल/ E-mail: cusshg@gmail.com

जन सूचना.01/2018

13 फरवरी, 2018

विषय: सभी ईडीआई स्थानों पर ईशेंच आवेदन का विस्तार - सम्बन्धी ।


सभी संबंधित का ध्यान दिनांक 13.10.2017 के परिपत्र संख्या 40/2017- सीमा शुल्क के पायलट कार्यान्वयन के आवेदन पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से दस्तावेजों को अपलोड यानी-ई संचित हेतु आमंत्रित किया गया है।

2. अब तक बोर्ड से प्राप्त रिपोर्ट और फीडबैक के आधार पर, स्वैच्छिक आधार पर सभी ईडीआई स्थानों पर ईसंचित का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। यद्यपि यह सुविधा स्वैच्छिक आधार पर व्यापार के लिए प्रदान की जाएगी, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस सुविधा को अनिवार्य बनाने हेतु, प्रत्येक सीमा शुल्क दलाल और स्वयं-फाइलर (सभी आईसगेट उपयोगकर्ता) सीमा शुल्क परिपत्र संख्या 40/2017 में उल्लेख के तहत ईसंचित का उपयोग करने का प्रयास करे। सीमा शुल्क दलालों के लिए आगे बढ़ने हेतु कार्यक्रम किए जा सकते हैं जिन्होंने अभी तक ईसंचित का प्रयोग शुरू नहीं किया है, यह ध्यान में रखते हुए कि इस तरह के ब्रोकर आईसगेट पर प्रविष्टि के बिलों को दर्ज करने में सक्षम नहीं होंगे जब यह सुविधा अनिवार्य हो जाएगी।

3. तदनुसार,, इस आयुक्तालय में ईडीआई स्थानों पर व्यापार के लिए इस सुविधा की उपलब्धता स्वैच्छिक आधार पर की जाती है। ईसंचित पर डिजिटल हस्ताक्षर के साथ सहायक दस्तावेज अपलोड करने के लिए पूरी प्रक्रिया और सामान्य प्रश्न की एक सूची आईसगेट की वेबसाइट पर <https://www.icegate.gov.in/eSANCHIT.html> पर पहले ही प्रकाशित हो चुकी है।

4. इसके अलावा, इस सुविधा के कामकाज के दौरान समक्ष आने वाली समस्याओं / प्रश्नों, यदि कोई हो, तो इस कार्यालय के सूचना में लाया जा सकता है।

(प्राधिकार- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग(सीबीइसी) के अनुदेश संख्या-02/2018-सीमा शुल्क एफसं.450/16/2015-सीमा IV दिनांक के देखें।)



(बंदना देवरी)
आयुक्त

C.No. VIII (48)25/CUS/TECH/2006/ 1859-80 (A)

dated 13 FEB 2018

प्रति सूचना हेतु:

1. मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एवं सीमा शुल्क, शिलांग जोन, शिलांग ।
2. आयुक्त, सीजीएसटी आयुक्तालय ,अगरतला, आइजल, दीमापुर,डिब्रूगढ़, गुवाहाटी,शिलांग, ईटानगर,इम्फाल ।
3. उप आयुक्त/ सहायक आयुक्त सीमा शुल्क प्रभाग अगरतला/ आइजल/धुबरी/दिमापुर/ गुवाहाटी/ इम्फाल/ करीमगंज/ शिलांग से निवेदन किया जाता है कि वे अपने क्षेत्राधिकार में सभी को सूचित करें।
4. उप आयुक्त, आईसीडी अमीनगाँव कार्यान्वयन हेतु एवं अपने क्षेत्राधिकार में सभी सीमा शुल्क दलालों/ आयातकर्ता /निर्यातकर्ता संघ को सूचित करें
5. उप आयुक्त/सहायक आयुक्त, मोरेह एलसीएस, अगरतला एलसीएस।
6. अधीक्षक , कंप्यूटर सेल, सीमा शुल्क, शिलांग को इस जन सूचना को वेबसाइट पर अपलोड किया जाए ।
7. गार्ड फाइल/Guard file ।



(बंदना देवरी)

आयुक्त